



## सक्रिय राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियां :

हिमान्"ु यादव : शोध छात्र (राजनीति विज्ञान विभाग ), जे.एस. वि"वविद्यालय िकोहाबाद  
फिरोजाबाद ।

डा. धर्मेन्द्र कुमार (असि.प्रो.) राज.वि.वि., जे.एस. वि"वविद्यालय िकोहाबाद, फिरोजाबाद ।

सारा"ी :- प्रस्तुत लेख सक्रिय राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियां, के अन्तर्गत महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता को स्पष्ट करते हुए महिलाओं पर पारिवारिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाव को शोध में प्रमुखता दी गयी है। दूसरी ओर महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता अस्पष्ट तथा दयनीय है । साथ ही महिलाओं के प्रति न्यूनता तथा हीनता का भाव तथा पारिवारिक स्तर पर अस्पष्ट उत्तराधिकार एवं शोषण भी महिलाओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। शोध पत्र में महिलाओं के प्रति संवैधानिक दायरे में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की अस्पष्टता तथा राजनैतिक व सामाजिक परिवे"ी में मनोवैज्ञानिक आधार पर शोषण तथा चरित्र हनन का खतरा भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए एक चुनौती है। इसके अतिरिक्त शोधार्थी ने शोध पत्र में महिलाओं के प्रति पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों द्वारा घृणास्पद व्यवहार महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में अवरोधक है। अतः लेख में इन अवरोधकों को स्पष्ट करते हुए सुझावों का स्पष्ट किया गया है।

प्रस्तावना :- प्रस्तावित अध्ययन 'सक्रिय राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों में पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर महिलाओं के साथ किये जाने हीनता पूर्ण व्यवहारों को तथा संवैधानिक आधार मौलिक अधिकारों की अस्पष्टता को लेख में यथा विवेचित किया जाना अपेक्षित है । शोधार्थी द्वारा शोधान्तर्गत पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार तथा पुरुषों के द्वारा महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक सहभागिता पर प्रतिबन्ध तथा राजनीति में सहभागिता के दौरान उनके चरित्र हनन होने के भय को लेख में यथा विवेचित किया जाना है। अंततः महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हेतु सुझावों को लेख में प्रमुखता से स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

महिलाओं के राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी परिदृ"य -

आज तक राजनीति के प्रति लोगों की सोच यथोचित नहीं हैं । दे"ी का बहुसंख्यक समाज और समुदाय राजनीति व्यवहार को उचित श्रेणी में मानता है। साथ ही राजनीति को गन्दा खेल मानकर यह भी मानता है कि राजनीति सभी नागरिकों के योग्य नहीं। आदि- जैसी भ्रामक धारणा महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता/भागीदारी से विमुख कर देती हैं । इस बजह से राजनीति में आम तथा सभ्रान्त महिलाएं राजनीति में सहभागिता के बजाय दूरी बनाती हैं। दूसरी ओर पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को हीनता तथा निष्कृता और छल कपट वाली दृष्टि से देखता है शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार से ज्ञात हुआ कि जिन महिलाओं का पूरा परिवार राजनीति में है या पूरे परिवार के सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया उनका मानना भी है कि राजनीति का वर्तमान परिवे"ी महिलाओं की सहभागिता के लिए उपयुक्त नहीं है।



शैक्षिक पिछड़ापन : – महिलाओं का शैक्षिक पिछड़ापन भी राजनीतिक सहभागिता का अन्य कारण है। यह शैक्षिक पिछड़ापन महिलाओं और पुरुषों की सहभागिता में मूलभूत अन्तर पैदा करता है।

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत भी न्यून है। यह महिला जगत के लिए अभिगाप है। यह सच है कि एक शिक्षित व्यक्ति में मस्तिष्क भी पूरी तरह विकसित होता है। क्योंकि शिक्षा के अभाव में उन्हें दैनिक तथा आवयक सूचनाएं प्राप्त नहीं होतीं। और उनके अन्दर उचित सूझ-बूझ का अभाव रहता है। किन्तु वक्त की आवयकतानुसार महिलाओं की राजनीति में सहभागिता अति आवयक है। यदि हम महिला शिक्षा की बात करें तो आज भी महिलाओं के लिए प्रथक शिक्षणालयों का अभाव है। यदि संयुक्त रूप से सह शिक्षा प्रदान करने वाली पाठशालायें लड़के, लड़कियों की हैं जिसमें अध्यापक उपयुक्त शिक्षा देना ही उचित नहीं समझते या कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। जिससे महिलाओं में शिक्षा का स्तर दिनो दिन निम्न स्तर का होता जा रहा है।

भारत में वैज्ञानिकता के विकास की बात करें तो उन्नत और समृद्धता दिखायी देती है किन्तु यदि यदि रूढ़िवादिता की बात करें तो इसकी प्रधानता भी भारतीय समाज में परिलक्षित होती है। प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िवादिता महिलाओं को पर्दे के पीछे रहने की हिदायत देती है। और महिलाएं पुरानी रूढ़िवादिता को अपना आदर्धर्म समझ कर अक्षरतः पालन कर रही हैं। संख्यात्मक आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शैक्षिक प्रगति तो निम्न है ही जिससे सहभागिता का स्तर भी न्यून है।

उत्तर प्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण राष्ट्र में महिलाओं में को बाहर निकलकर सोचने समझने की आजादी का सर्वथा अभाव है। वह परम्परागत तरीके से घर वालों आदेशों व उनके पद चिन्हों पर चलती है यदि किसी परिवार में कोई पुरुष वर्ग राजनीति में नहीं है और उस परिवार की महिला मन से राजनीति में प्रवेश करना चाहती है साथ ही वह योग्यता भी रखती है किन्तु फिर भी उसे पहल करने में हिचकिचाहट महसूस होती है। ऐसी महिलाओं की संख्या भारतीय समाज में सर्वाधिक है, जो कि राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से बहुत कुछ आगे बढ़कर सामाजिक तथा राजनीतिक उत्थान के कार्य कर सकती हैं।

विधायिका हेतु निर्वाचन में महिलाओं के प्रति द्वेषभाव :- वर्तमान समय में विधनमण्डल राष्ट्र की प्रमुख संचालन शक्ति मानी जाती है। और उसमें निर्वाचित सदस्य कार्य बहुआयामी होता है। जो जनसमयाओं निदानकर्ता माना जात है। वह जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे सभा के मंच से अभिव्यक्ति करता है और उद्देश्य के अनुकूल विधि, उपविधि आदि बनाने के प्रयासरत रहता है। सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियों, तथा लिए गये निर्णयों आदि से जनता को अवगत कराता और उनके कार्यान्वयन में सहयोग करना विधायक का कर्तव्य है।

समाज में समानता की स्थिति कायम करने लिए नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए सहयोग देना अत्यन्त आवश्यक होता है।<sup>1</sup> निर्वाचित सदस्य सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं तथा वे स्व चेतना के अधीन हैं और किसी के निर्देशों का पालन करने की बाध्यता नहीं होती।<sup>2</sup> वह अपने निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। विधायक स्वविवेक के साथ संविधान द्वारा विधायिकों को संसदीय कार्य के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं।

शोधार्थी विधायिका हेतु उक्त कथन का समर्थन करता है कि संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख तत्व है कि जनता के प्रतिनिधियों को विधिक परिणामों से भयभीत न होकर स्व विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता



होनी चाहिये।<sup>3</sup> निर्वाचित विधायकों को सभी प्रकार की संसदीय स्वतन्त्रता प्राप्त है किन्तु व्यवहार में उन्हें अपने संसदीय आचरण में कई मर्यादाओं एवं सीमाओं का समन्वय रखना होता है।

मनोवैज्ञानिक आधार पर पूर्वाग्रहों का प्रभाव :- महिलाएं प्राकृतिक आधार पर भावुक, आश्रित, उदासीन और आज्ञापालन में सुख महसूस करने वाली होती है। उसे गृह प्रबन्ध एवं बच्चे पालने, माँ और पत्नी के रूप में क्रियाशील रहने में सुखद आनन्द प्राप्त होता है। स्त्री और पुरुष के मध्य भेद स्पष्ट है। स्त्री और पुरुष दोनों के मनोविज्ञान रूप से भिन्नता रखते हैं। यह सामाजिक व्यवस्था का बहुसंख्यक लोगों की धारणा और मान्यता बन गयी है किन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिको महिलाओं के सम्बन्ध में बनायी गयीं पूर्व धारणाओं को मिथ्ये करार दिया और यह माना कि हमारा समाज पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। और इसे मानकर बालपन से ही हीनता की शिक्षा प्रदान की जाती है कि महिलाओं की पुरुषों से बराबरी नहीं है। यह बात प्रमाणिक है कि प्रत्येक समाज अपने बच्चों को अपने विचारों और आदर्शों के अनुरूप प्रशिक्षित करता है और इस तरह स्त्री पुरुष उसी प्रकार के बनते हैं। जिस प्रकार समाज चाहता है।<sup>4</sup>

शोधार्थी द्वारा अध्ययन उपरान्त महिला विधायिकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है प्रथम राजपरिवार अथवा राजपरिवार से सम्बन्ध रखने वाली महिला विधायक –

प्रथम वर्ग अथवा धनी व राजपरिवार से सम्बन्धित महिला विधायक राजकुल की मर्यादाओं तथा श्रेष्ठता का भाव रखती हैं। जिसके कारण वे निर्वाचकगणों से सीधा सबन्ध स्थापित करने में अर्थात् मतदाताओं से व्यक्तिगत मेलजोल रख पाने में पूरी तरह असमर्थ रहती हैं। ऐसी महिला विधायक सामान्यजन की दृष्टि में ये विशेष पूज्यनीय हैं। यह समाज का उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार है।

ऐसी महिला विधायिकों के अधीनस्थ सैकड़ों व्यक्तिगत सेवक रहते हैं, जिनके माध्यम से वे जनसम्पर्क के कार्यों को वे निष्पादित करती हैं। ऐसी महिला विधायक वेतन से अधिक निज गौरव और सम्मान को कायम रखने में अधिक गर्व महसूस करती हैं।

द्वितीय, सामान्य वर्गीय महिला विधायक –

इस वर्ग से ताल्लुक रखने वाली महिला विधायिकों की समस्या भिन्न प्रकार की होती है। ऐसी महिला विधायक जो भरे पूरे परिवार से होती हैं विधान सभा अधिवेशन उपरान्त अपना ज्यादातर समय पारिवारिक कार्यों व्यतीत करना उचित समझती है। परिवार का आग्रह और मनोवैज्ञानिक दबाव का परिणाम होता है कि वे परिवार में अधिक समय देती हैं और वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक जन सम्पर्क नहीं कर पातीं।

महिलाओं का पिछड़ा आर्थिक आधार –

विधायिकों की एक बड़ी समस्या पुर्ननिर्वाचन की है। अपने एक बार निर्वाचन होने के दिन से ही चिन्तित रहता है प्रथम चुनाव में हुआ व्यय, द्वितीय उसके समर्थकों द्वारा किया गया व्यय, तृतीय-राजनैतिक दल द्वारा किया गया व्यय। विधायक को जो वेतन और भत्ते कार्य के अनुपात में आर्थिक प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में आगामी चुनाव की कल्पना करना निरर्थक होती है अतः वह जनसेवा को इतर रख कर काला धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं।



उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित राज्य है। प्रदेश में संयुक्त परिवार की व्यवस्था प्रचलित है। जिसमें घरेलू सत्ता घर के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा संचालित होती है। अतः आर्थिक आधार पर महिलाओं की पराधीनता सक्रिय राजनीतिक सहभागिता में अत्यन्त बाधक सिद्ध होती है।<sup>5</sup>

राजनैतिक परिवे<sup>1</sup> में महिलाओं की उपेक्षा –

महिला आन्दोलनों के उदय और विकास के कारण महिलाओं में हीन भावना सम्बन्धी विचार धारा में निरंतर परिवर्तन हुआ किन्तु धीमी गति के कारण किसी भी क्रान्तिकारी परिवर्तन की आशा करना निरर्थक है। राजनैतिक दलों के अन्तर्गत गठित महिला शाखायें काफी अंशों तक प्रतीकात्मक बनीं हुई हैं। महिलाओं में नेतृत्व का बिखराव है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संख्या की दृष्टि से महिलायें अल्पसंख्यक नहीं मानी जा सकती, किन्तु राजनीतिक शक्ति की असमानता के कारण उनमें अल्पसंख्यकों के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं।<sup>6</sup>

राजनीति में महिला सहभागिता की आव<sup>7</sup>यकता –

प्रस्तुत शोध लेख में महिलाओं की सहभागिता के आंकलन को स्पष्ट करना है। लेख में पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर जोर देना है ताकि भविष्य में प्रतिनिध्यात्म संस्थाओं में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में महिलाओं के राजनीतिक सहभागिता हेतु अनगिनत बाधित कारक हैं। किन्तु राष्ट्रीय राजनीति का दायित्व है कि महिलाओं राजनीतिक सहभागिता के प्रति जागरूकता पैदा करना है साथ महिलाओं को स्थानीय स्तर पर पंचायत या शहरी आधार पर नगरपालिका में, उनके स्थानों को आरक्षित कर उचित स्थान देना है क्यों स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक दलों के द्वारा उनकी लगातार उपेक्षा की जाती है। जिसके कारण स्थानीय स्व<sup>8</sup>ासन प्रतीकात्मक बनकर रह गया है। दूसरी ओर पुरातन व्यवस्था की रूढ़िवादी व्यवस्था भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में पूरी तरह बाधक है। हालांकि कुछ हद तक महिलाओं ने संघर्ष कर राजनीति में खुद को स्थापित करने का कार्य किया है किन्तु सहभागिता का यह परिणाम संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

वर्तमान में हिंसा, चरित्र हनन तथा धमकियां महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बाधक हैं। तथा राजनीतिक दलों की उदासीनता तथा अमानवीय प्रवृत्तियों के कारण महिलाएं राजनीतिक सहभागिता के कारण उदासीनता प्रकट करती हैं। दलीय आधार पर अल्पतंत्र का लौहनियम जाति और लिंग विभेद को वरीयता देता है अतः निम्न समाज अथवा आम समाज की महिलाएं राजनीति के उच्च पदों पर पहुँचने में असफल होती हैं। इन समस्त दुष्प्रवृत्तियों में सुधार की महती आव<sup>9</sup>यकता है ताकि महिलाएं उचित सहभागिता कर सकें।

निष्कर्ष : निष्कर्ष और समस्याओं के आधार पर राजनीतिक सहभागिता सिर्फ विधायक होने तक सीमित नहीं बल्कि इसका सम्बन्ध समस्त महिलाओं की स्वतन्त्रता से है। विधायकों की समस्या का अंत नारी जाति की वास्तविक स्वतन्त्रता और समानता के व्यावहारिक पहलू से जुड़ा हुआ है, यह यक्ष विचार है।

पूर्व तथा वर्तमान समय तक जाति या लिंग की श्रेष्ठता जैसी एक आम धारणा बन चुकी है। इस परम्परा वादी धारणा से बचना है कि महिलाएं तुच्छ एवं निम्न स्तर की प्राणी हैं। पुरुषों के समान नकल करने अथवा कुछ स्त्रियों को ऊँचे पद मिलने जाने पर भी स्त्रियों की स्थिति में अधिक अन्तर आने वाला नहीं है। उपरोक्त सन्दर्भ में श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी का मत था कि हम तो सिर्फ अपनी प्रतिभा के विकास के लिए



सबके समान अवसर चाहते हैं। प्रशिक्षण शिक्षा व सामाजिक व्यवहार के मामले में लिंग पर आधारित व्यवहार खत्म किये जायें रुचियों और क्षमता के मामले में अन्तर तो बने ही रहेंगे। क्या यह अन्तर पुरुषों और पुरुषों के बीच में नहीं है?

सुझाव:

परंपरा वादी समाज में अर्थात् पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के अन्दर राजनैतिक चेतना जागृत करना तथा उनके प्रति पूर्वाग्रहों का अन्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

महिला जगत को जागरूक नागरिक बनाने के लिए तथा शासन / प्रशासन में भागीदार करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाय तथा स्थानीय स्तर महिलाओं को राजनीति में प्रवेश दिलाकर प्रशिक्षित करने का किया जाय ताकि महिलाएं पुरुषों के समान उच्च स्तर की राजनीति में भागीदार बन सकें।

राजनीति में महिलाओं के चरित्र हनन का भय समाप्त किया जाय तथा उनके साथ होने वाली हिंसा तथा धमकियों से उन्हें पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दी जाय।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परम्परावादी समाज में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक समानता प्रदान कर आत्म निर्भर बनाया जाय तथा पुरुष वर्ग की रूढ़िवादी मानसिकता पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाय।

महिलाओं के व्यक्तित्व विकास उचित शिक्षण / प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान की जाय ताकि वे अपने व्यक्तित्व का सही और मानकानुरूप विकास कर सकें।

महिलाओं के प्रति बढ़ रही घरेलू सामाजिक और राजनीतिक हिंसा समाज के लिए अभिग्राह्य है अतः इस पर पूरी तरह विराम लगाया जाना न्याय हित में है। ताकि कल्पित महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के आनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकें।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मिले समानता अधिकार अनुरूप महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकार को पूरी तरह कार्यान्वित कराया जाना सुनिश्चित किया महिला, समाज तथा राष्ट्रहित में है। शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में पुरुष तथा महिला पक्ष दोनों के आधारभूत विकास और कमियों को उजागर कर किया। महिलाओं को दोगुने दर्जे का नागरिक मानने में पुरुष प्रधान समाज, परिवार और राजनीतिक दलों की भूमिका को स्पष्ट किया है साथ ही विभिन्न विचारकों की वैचारिक स्पष्टता को समायोजित करते हुए आर्थिक नहीं नहीं बल्कि आनुकूल परिणाम प्राप्त करने हेतु सुझावों को प्रस्तुत किया। राजनीतिक दलों में अल्पतंत्र के लौह नियम को भी व्यवधान और बाधक होने के लिए उनकी कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने का सुझाव प्रस्तुत किया है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि शोध पत्र में स्पष्ट की समस्याओं और सुझावों को ध्यान रखते हुए महिलाओं के कल्याण हेतु सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक व राजनैतिक सुधार हेतु यदि आवश्यक कदम उठाये जाते हैं तो शोधार्थी अपने प्रयास को सफल समझेगा।

संदर्भ :-

(1) द्विवेदी नागेवर : संसद सदस्य, संसदीय पत्रिका, खण्ड अंक 3, पृष्ठ, 2 ।

(2) फाइनर हरमन : थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गर्वनमेंट, पृष्ठ, 370 ।



- 
- (3) डेकड बाखरा सिनक्लेयर: द वूमेन्स मूमेण्ट, पृष्ठ संख्या, 27 ।
  - (4) श्यामलाल शकधर, सचिव लोक सभा, संसदीय, खण्ड 19, अंक 952 ।
  - (5) उपरोक्त विचार धारा का समर्थन अरस्तु द्वारा अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ पॉलिटिक्स में किया गया ।
  - (6) भारतीय समाज में की परिस्थिति-राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का सार संक्षेप पृ. 126
-